पेपर लीक व फर्जीवाड़े के आरोपी 11 ट्रेनी एसआई चार दिन की रिमांड पर

इस मामले में एस.ओ.जी. पर फिर उठे सवाल

- सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने बार-बार अखबार में छप रहे सवालों का मुद्दा उठाया।
- कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एसओजी के अधिकारी भी शायद जवाब पूरे न दे सकेंगे
- मामले में पूर्व में गिरफ्तार दो अन्य आरोपी श्रवण व सुरेश को जेल भेजा।

जयपुर। मुख्य महानगर द्वितीय, महानगर द्वितीय ने एसआई भर्ती- 2021 पेपर लीक से जुडे मामले गिरफ्तार 11 ट्रेनी एसआई व एक कांस्टेबल को 12 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मामले में पूर्व में गिरफ्तार दो अन्य आरोपी श्रवण व सुरेश को जेल भेज दिया।

एसओजी ने आरोपी सुरेंद्र, दिनेश, भालाराम, राकेश, सुभाष, अजय, जयराज, मनीष, मंजू, चेतन, हरखू व अभिषेक को कोर्ट में पेश किया। एसओजी ने कोर्ट से उन्हें 10 दिन के पुलिस रिमांड पर देने का आग्रह किया। एसओजी का कहना था कि उनसे पैसों के लेन-देन की जांच करनी है और पता लगाना है कि पेपर खरीदने के लिए वे रुपए कहां से लाए थे।

वहीं, एसओजी ने कहा कि सभी आरोपियों के अकाउंट्स और हस्ताक्षर की जांच करनी है। साथ ही इनके परिवार से भी पैसों के बारे में जानकारी लेनी है। इस पर कोर्ट ने सभी को रिमांड पर भेज दिया।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने बार-बार अखबार में छप रहे सवालों का मुद्दा उठाया। इस पर जज ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच कर रहे एसओजी के अधिकारी से भी अगर आज यह सवाल किए जाएं तो शायद वह जवाब नहीं दे सकेंगे।

आरोपियों की ओर से एक एप्लीकेशन पेश कर एसओजी पर आरोप लगाया कि एसओजी ने एसआई को ट्रेनिंग के दौरान गिरफ्तार किया। 2 अप्रैल को एसओजी आरपीए जाकर 11 एसआई को पकड़ कर लाई। उन्हें एसओजी मुख्यालय में रखा। कोर्ट में 4 तारीख को पेश किया। एसओजी दूसरी बार एसआई को अवैध हिरासत में रख रही है। इस पर एक्शन लेना चाहिए।

पूछताछ के दौरान उनसे कुछ खाली कागजों पर भी दस्तखत कराए हैं। इस दौरान एसओजी ने आरोपियों के अभिभावकों को भी धारा 41 ए का नोटिस दिया था। पेशी के दौरान कुछ आरोपियों के अभिभावक भी आए थे। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर आरोपियों को 12 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट मंगलवार को आरोपियों की उस एप्लीकेशन पर भी आदेश देगा जिसमें एसओजी पर उन्हें अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाया है।

गौरतलब है कि कोर्ट में आज किसी भी गिरफ्तार एसआई ने रिमांड के दौरान पीटने की बात नहीं की। पिछली बार मंजू और हरखू चौधरी ने कोर्ट के सामने कहा था कि उन्हें पकड़ने के बाद एसओजी के अधिकारियों ने पट्टे से पीटा था। कहा था कि आज तेरी पूरी दादागिरी निकालते हैं। पिछली बार हरखू चौधरी ने कोर्ट को बताया था कि आरपीए के अधिकारी भी उसे डॉन कहकर बुलाते थे। एसओजी में भी उसके साथ यही रवैया अपनाया गया।

विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम को जीवंत बनाने का प्रयास करें : देवनानी

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को विधानसभा में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नव गठित अनुसंधान समिति के सदस्यों के साथ डिजिटल म्यूजियम के अपग्रेडेशन के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की।

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम राजनैतिक आख्यान संग्रहालय को जीवंत बनाने के लिए नये सिरे से प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि म्यूजियम के अधिकतम उपयोग किये जाने के लिए नवाचार किये जायें। जयपुर आने वाले सभी पर्यटकों को म्यूजियम दिखाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

देवनानी ने सोमवार को यहां विधानसभा में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नव गठित अनुसंधान समिति के सदस्यों के साथ डिजिटल म्यूजियम के अपग्रेडेशन के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की।

देवनानी ने म्यूजियम में आवश्यक कंटेट को निश्चित समय सीमा में अपग्रेडेशन किये जाने की आवश्यकता जताई। देवनानी ने कहा कि सम्बन्धित विषय वस्तु को अनुसंधान समिति द्वारा गहन विचार विमर्श के पश्चात ही अद्यतन किया जाये। बैठक में म्यूजियम को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिये जाने हेतु गम्भीर मंथन के पश्चात सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गई। देवनानी ने कहा कि म्यूजियम का अपग्रेडेशन कार्य निर्माण करने वाली फर्म पुराने एमओयू के अनुरूप ही कार्य करेगी। भविष्य में म्यूजियम को देखने के लिए सशुल्क दिखाये जाने के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। प्रारम्भ में विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बैठक के बिन्दुओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि म्यूजियम की पृथक ई मेल आईडी बना दी गई है। म्यूजियम में आगन्तुकों को ऑनलाइन बुकिंग किये जाने हेतु पोर्टल बनाने पर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के अधिकारियो द्वारा की जा रही कार्यवाही प्रगति पर है। पर्यटन विभाग की वेबसाईट पर म्यूजियम की सूचना प्रदर्शित कर दी गई है। विधानसभा की वेबसाइट के पॉपअप पर रविवार को म्यूजियम के खुले होने की जानकारी भी प्रदर्शित कर दी गई है। म्यूजियम के प्रचार-प्रसार के लिये लघु फिल्म बनाई जा रही है। म्यूनजियम को ट्यूरिस्ट गाईड, पत्रकारों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिखाये जाने के लिये संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया गया है। आगंतुकों की प्रवेश की सुविधा के लिए अध्यक्ष देवनानी ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये।

देवनानी को निमत्रंण

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट के सचिव महेन्द्र माथुर ने अध्यक्ष नरेशपुरी की ओर से आमत्रंण दिया।

उल्लेखनीय है कि मेहंदीपुर बालाजी में आगामी 22-23 अप्रेल को हनुमान जंयती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

भाजपा नेता 400 पार की बात बरगलाने के लिए करते हैं : डोटासरा

जयपुर, (का.प्र.)। भाजपा के 400 पार के नारे पर हमला बोलते हुए पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि वे बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं और प्रजातंत्र को खत्म करने पर आमादा हैं। यही वजह है कि ऐसी बातें कर रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान डोटासरा ने कांग्रेस के न्याय पत्र और गारंटियों के बारे में बताते हुए डोटासरा ने कहा कि भाजपा नेता 400 पार की बात लोगों को बरगलाने के लिए करते हैं। डोटासरा ने कहा कि अबकी बार ये आ गए तो आगे चुनाव नहीं करवाने देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था कर देंगे कि किसी के पास वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं होगी और जनता से वादे करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार की सोच के साथ भाजपा के लोग आगे बढ़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र न्याय पत्र में पांच न्याय और 25 गारंटियों की बात कर लोगों से समर्थन मांग रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इन्हें अमलीजामा पहनाया जाएगा।

डोटासरा ने कहा कि काठ की हांडी एक बार चढ़ जाए, दो बार चढ़ जाए, लेकिन तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वे 200 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में एनडीए का शासन नहीं आएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।

ईआरसीएपी पर सवाल के जवाब में डोटासरा ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत को ईआरसीपी पर बोलने का हक नहीं है।

'लगता है सरकार व्यवस्था बदलने को तैयार नहीं'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुकदमों की कमजोर पैरवी और केस के प्रभारी अधिकारियों की गैरहाजिरी को लेकर एक बार फिर टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि लगता है कि सरकार व्यवस्था बदलने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने खान सचिव को 29 अप्रेल को रिकॉर्ड सहित बुलाया है। वहीं अदालत ने इस संबंध में प्रमुख विधि सचिव से दो सप्ताह में शपथ पत्र पेश करने को कहा है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर दिए।

तीये की बैठक

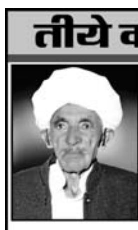

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया है कि हमारे पूजनीय पिताजी **सुवालाल जी लील** का स्वर्गवास दिनांक 7 अप्रैल 2024 को हो गया जिनकी तीये की बैठक 9 अप्रैल 2024 को हमारे निवास स्थान लीलो की ढाणी मंगलम सिटी वाटिका में दोपहर 12 से 4:00 बजे तक होगी

शोकाकुल- रामकरण, रामलाल, गोवर्धन, हनुमान (पुत्र) रमेश,मुकेश, सुरेश, सीताराम, राधेश्याम, गोपाल, ओमप्रकाश, विकास (पौत्र) समस्त लील परिवार वाटिका रामसिंहपुरा

9950224054, 9829199466
9929341747, 8426093574

सांगानेर में गंदे पानी की समस्या खत्म करने का काम करेंगे : मंजू शर्मा

भाजपा की जयपुर शहर प्रत्याशी मंजू शर्मा ने सोमवार को सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर जनसंपर्क किया। इस दौरान उनके साथ सांसद घनश्याम तिवाड़ी भी मौजूद रहे।

जयपुर। जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा ने कहा है कि वे जयपुर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। शहर की कच्ची बस्तियों में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। केन्द्र सरकार ने लोगों को पक्के आवास और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को पांच साल में भारी भरकम बजट भी दिया लेकिन पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने लोगों को पक्के आवास व मूलभूत सुविधाएं देने बजाय करोड़ों रुपए के बजट को विज्ञापन और दूसरे कार्यों मे खर्च करके गरीबों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि राज्य में अब डबल इंजन की सरकार है, इसलिए इन बस्तियों के लोगों को पक्के आवास व मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए केन्द्र व राज्य से अधिकाधिक बजट अलाट कराने साथ ही पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी जिससे पूरा बजट इसी काम पर खर्च हो सके। साथ ही सांगानेर क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या का स्थाई समाधान की दिशा में काम किया जाएगा।

भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा ने आज सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर जनसंपर्क किया। इस दौरान युवाओं और महिलाओं में मंजू शर्मा के प्रति जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। जनसंपर्क के दौरान कई स्थानों पर मंजू शर्मा को फलों से तोला गया वहीं विभिन्न स्थानों पर उनका माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने जयपुर की बेटी के स्वागत में पलक पावडे बिछा दिए वहीं उनका गली, मौहल्ले और कॉलोनियों में भव्य स्वागत हुआ। मंजू शर्मा के स्वागत कार्यक्रम में महिलाएं भी पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर भाग लेती नजर आई। वहीं जनसभाओं में लोगों ने हाथ उठाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का संकल्प लिया।

जनसभा व स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा ने कहा कि मतदान दिवस सिर्फ सांसद चुनने का दिन ही नहीं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का दिन है। यह चुनाव छोटे-मोटे मुद्दों का चुनाव नहीं है ना ही छोटी-मोटी समस्याओं के चुनाव है। यह चुनाव देश की सुरक्षा और देश को आगे बढ़ाने के चुनाव है। यह दौर जो हमारा है 10 साल का इसने ही देश को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक होगा, निर्णायक होगा और भारत को और आगे ले जाने वाला कालखंड साबित होगा।

इस दौरान सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि 2014 से पहले जनता को सिर्फ वादे और नारे मिले, पर काम कुछ नहीं हुआ। 2014 के बाद अकल्पनीय काम हुए देश मजबूत हुआ। चले गए वो दिन जब कांग्रेस के नेता शिलान्यास करके भूल जाते थे, मोदी सरकार में शिलान्यास भी होता है और उद्घाटन भी होता है। वहीं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाडी ने कहा कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र अब मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र हैं, ऐसे में यहां का विकास पूरी भाजपा की जिम्मेदारी है। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सीएम गंभीर है और यहां के विकास का नया खाका तैयार किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों के बाद विश्व प्रसिद्ध सांगानेरी प्रिंट को व्यापक बाजार उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे वहीं यहां पर गंदे पानी की समस्या का निदान खोजा रहा है, आने वाले कुछ वर्षों में यह पूरा क्षेत्र रंगाई और छपाई के हब के रूप में जाना जाएगा।

रामनवमी पर पतंजलि गुरुकुलम् के नवीन परिसर का लोकार्पण

- स्वामी रामदेव जी महाराज के 30वें सन्यास दिवस पर छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा का आयोजन

हरिद्वार/जयपुर, (का.सं.)। शक्ति व मर्यादा साधना का महापर्व चैत्र नवरात्रि व रामनवमी के उपलक्ष्य में वेदधर्म व ऋषिधर्म के संवाहक परम पूज्य योगऋषि स्वामी रामदेव के 30वें संन्यास दिवस के पावन अवसर पर 17 अप्रेल को पतंजलि गुरुकुलम् के नवीन परिसर के लोकार्पण होगा। इस दिव्य अनुष्ठान पर परम पूज्य स्वामी गोविन्ददेव गिरि महाराज के श्रीमुख से हिन्दवी स्वराज के प्रणेता छत्रपति शिवाजी महाराज की यशोगाथा छत्रपति शिवाजी महाराज कथा योगभवन पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर महाराज व आचार्यश्री के साथ-साथ राष्ट्र के शीर्ष संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की कथा का शुभारम्भ 9 अप्रैल को प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक योगभवन ऑडिटोरियम, पतंजलि योगपीठ फेस-2, हरिद्वार में किया जायेगा। 10 से लेकर 17 अप्रैल तक कथा निरंतर सायं 4 से 7 बजे तक योगभवन में ही आयोजित की जायेगी।

अमेरिका में मनाया गणगौर महोत्सव

जयपुर। अमेरिका के फिलाडेफिया में प्रवासी राजस्थानियों ने स्थानीय मंदिर में गणगौर महोत्सव परंपरागत तरीके से मनाया। आयोजन से जुड़े डॉ. रवि मुरारका के अनुसार जोधपुर के हस्तशिल्पियों के हाथों निर्मित गणगौर को आकर्षक ढंग से श्रृंगारित किया गया। कार्यक्रम में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं शेखावटी सहित राज्य के कोने-कोने में बसे प्रवासी राजस्थानी शामिल हुए। गणगौर उत्सव के दौरान महिलाओं ने अमेरिका में मिनी राजस्थान सा अहसास दिलाया।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम दीपक कुमार कालरा से बदलकर दीपक कालरा पुत्र श्री उद्धव कालरा रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए। प्लाट नं. 251 सिंधी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर

मैंने अपना नाम तुषार से बदलकर तुषार जोरा रख लिया है। भविष्य में मुझे तुषार जोरा पुत्र राकेश कुमार जोरा के नाम से जाना जाएगा। पताः- सी-46, करधनी योजना, गोविंदपुरा, कालवाड रोड, जयपुर।

मैंने अपना नाम तमन्ना से बदलकर तमन्ना जोरा रख लिया है। भविष्य में मुझे तमन्ना जोरा पुत्री राकेश कुमार जोरा के नाम से जाना जाएगा। पताः- सी-46, करधनी योजना, गोविंदपुरा, कलवार रोड, जयपुर।

शादी के बाद मैंने अपना नाम शिवानी गंभीर से बदलकर शिवानी लाल रख लिया है। भविष्य में मुझे शिवानी लाल पुत्री लाजपत राय गंभीर के नाम से जाना जाएगा। पताः- बी-29, जनकपुरी, बिसनावाला, सिरसी रोड, जयपुर।

I have changed my name from Seema to Seema Rawat for all purposes R/o 5/MA/90 Indra Gandhi Nagar Jagatpura Jaipur

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक:90 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक:05.04.2024

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास / फ्लैट संख्या 35/148 (EWS) का आवंटन श्री दुर्गा सिंह पुत्र स्व. श्री रघुनाथ सिंह को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1125 दिनांक 30-06-1997 को जारी किया गया था। श्री दुर्गा सिंह की मृत्यु दिनांक 20.04.2007 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री खेम सिंह पुत्र स्व. श्री दुर्गा सिंह द्वारा आवासन मण्डल में अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु निवेदन किया जाकर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 9619 दिनांक 27.08.2013 के द्वारा मण्डल रिकार्ड में श्री खेम सिंह पुत्र स्व. श्री दुर्गा सिंह का नाम दर्ज किया गया। श्री खेम सिंह की मृत्यु दिनांक 23.05.2020 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती मीनाक्षी पत्नी स्व. श्री खेम सिंह द्वारा आवासन मण्डल मे अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः उक्त आवास/ फ्लैट का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्रीमती मीनाक्षी पत्नी स्व. श्री खेम सिंह का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। **भवदीय,**

सम्पदा प्रबन्धक, रा.आ. मण्डल वृत-प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

आम-सूचना गाडी नंबर RJ-45 CP 4901 जो कि मेरे पति स्व. श्री खेमराज मीणा पुत्र श्री हरि नारायण मीणा के नाम से परिवहन विभाग जयपुर में पंजीकृत है श्रीमती सीमा मीणा पत्नी स्व. श्री खेमराज मीणा उक्त वाहन को परिवहन विभाग जयपुर में अपने नाम से हस्तानांतरण कराना चाहती हैं इस संदर्भ में किसी को कोई आपत्ति हो तो 7 कार्य दिवस में परिवहन विभाग जयपुर को सूचित करें अन्यथा उक्त वाहन सीमा मीणा के नाम हस्तानांतरण कर दिया जाएगा। सीमा मीणा पत्नी स्व. श्री खेमराज मीणा पुत्र श्री हरि नारायण मीणा निवासी- 70-71, श्योनाथ विहार, आमपाली मार्ग वेस्ट, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान, मो. नं. 7378257440, 9269085461

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 135/24

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम दर्श गुप्ता पुत्र संदीप गुप्ता जाति महाजन निवासी फ्लैट नं. ए-403, गुमान एंटरनीटी प्लाट नं. जी.एच. 1, सुभाष नगर जयपुर जरिये विवाद स्थान नैसनिक पिता संदीप गुप्ता पुत्र संतोष गुप्ता निवासी उपरोक्त

मृतक श्रीमती अल्पा गुप्ता की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 05.05.2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम श्रीमती अल्पा गुप्ता पत्नि श्री संदीप गुप्ता जाति महाजन निवासी फ्लैट नं. ए-403, गुमान एंटरनीटी प्लाट नं. जी.एच. 1, सुभाष नगर जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 09 माह 05 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 20 माह 03 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर अदालत

आज्ञा से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर-द्वितीय

कार्यालय नगर परिषद, चौमूं-जयपुर (राज.)

दूरभाष - 01423.220036 ई-मेल - chomu.jaipur@yahoo.com

क्रमांक/न.प.,चौमूं/2024/7967 दिनांक 28.03.2024

पट्टा निरस्तीकरण आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी पट्टा संख्या 325 दिनांक 20/03/2023 श्री रवि खण्डेलवाल पुत्र श्री महेश खण्डेलवाल भूखमारियों का मोहल्ला चौमूं पर स्थित 17.14 वर्ग मीटर का व्यावसायिक पट्टा 69ए के तहत जारी किया गया है।

दिनांक 25/01/2024 को इस कार्यालय को उपरोक्त जारी पट्टे की शिकायत महेश कुमार सर्राफ ने प्रस्तुत कि रवि खण्डेलवाल ने हमारी पैतृक सम्पत्ति का नगर परिशद से पट्टा जारी करवा लिया गया है जबकि उसकी छत पर हमारी हिस्सा है। जिस पर नगर परिशद द्वारा पट्टाधारक को राज. न.पा. अधिनियम 2009 की धारा 73बी के तहत नोटिस कमांक 6300 दिनांक 25/01/24 एवं अन्तिम नोटिस कमांक 6488 दिनांक 01/02/24 जारी किया गया जिसका श्री खण्डेलवाल द्वारा कोई भी जवाब/लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया। हाजा कार्यालय जांच रिपोर्ट अनुसार श्री रवि खण्डेलवाल द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व दस्तावेज पंजिकृत विक्रय पत्र के अनुसार विकेता द्वारा रवि खण्डेलवाल 17.61 वर्ग मीटर की दुकान का ही विक्रय किया गया है। विकित अचल सम्पत्ति (दुकान) छत पर केता का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है।

श्री रवि खण्डेलवाल द्वारा क्षतिपूर्ति बंध प्रारुप 3, शपथ पत्र प्रारुप 2 में स्वयं के हस्ताक्षर नहीं किये हुए है साथ ही गवाहन के शपथ पत्रों पर भी शपथग्रहिताओं के हस्ताक्षर नहीं किये जाकर आवेदन के साथ प्रस्तुत किये है एवं कार्यालय में सांठगांठ कर मास्टर प्लान/जोनल प्लान का उल्लघंन कर रोड सीमा में, अपूर्ण दस्तावेज एवं बिना विधिक अधिकार के भूखण्ड का पट्टा छत सहित प्राप्त कर लिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पश्ट होता है कि श्री रवि खण्डेलवाल द्वारा तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर या दुस्संधि करके या विधि का उल्लघंन कर के भूमि का आंवटन प्राप्त कया गया है और पट्टा विलेख निश्पादित किया गया है। अतः राज. न. पा. अधिनियम 2009 की धारा 73b (Revocation of Allotment & Cancelation of Lease Deed) में उल्लेखित प्रावधानानुसार पट्टा निरस्त करने योग्य पाया गया है।

अतः उपरोक्त जारी पट्टा संख्या 325 दिनांक 20/03/2023 को शून्य घोशित किया जाता है। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर से मोहर के अधीन आज दिनांक 28/03/2024 जारी की गई है।

राज.संवाद/सी/24/12 **आयुक्त**

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना

मुख्य परियोजना प्रबन्धक गति-शक्ति उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के द्वारा भारत संघ के राष्ट्रपति एवम् उनकी ओर से ई-निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में निविदा निम्न कार्यो के लिए क्रमानुसार आमंत्रित की जाती है। **क्र.सं. 1: निविदा संख्या/कार्य का नामः** गति-शक्ति/इंजी./जय/2023-24/18 आर 1 जयपुर मण्डल में सी.पी.एम./गति शक्ति इकाई के कार्य क्षेत्र में विभिन्न निर्माण स्थलों/खण्डों का परियोजना निरीक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना निरीक्षण सेवा एजेंसी. (पी.एस.एस.ए.) की नियुक्ति करना (24 माह के लिए) **(टू पेकेट सिस्टम); अनुमानित लागतः** 81016816/-; **बयाना राशिः** 555100/-; **1** उपरोक्त निविदाओं का पूर्ण विवरण वेब साइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। नोटिस बोर्ड-मुख्य परियोजना प्रबन्धक गति -शक्ति उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के कार्यालय में देखी जा सकती है। **2** निविदा स. गति-शक्ति/इंजी./जय/2023-24/18 आर 1 की बन्द होने की तिथि 09.05.24 समय 15:30 बजे एवं खुलने की तिथी 09.05.24 समय16.00 बजे। **441-AN/24**

हमें /NWRailways पर फॉलो करें

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

IDFC FIRST Bank

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुननिर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तो की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	30586387	सम्पत्ति पर ऋण	1. रामेश्वर शर्मा 2. ममता देवी 3. नान्ची लाल शर्मा	23.03.2024	21,32,280.72/-	प्लाट नं. 278 का उत्तरी भाग, क्षेत्रफल 250.30 वर्गगज (अर्थात 209.27 वर्गमीटर) प्लाट का कुल क्षेत्रफल 503.34 वर्गगज, स्कीम नं. 2, कनक विहार, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान-302021 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है- पूर्व-अन्य कॉलोनी, पश्चिम-कच्ची रोड 30', उत्तर-प्लाट नं. 277, दक्षिण-प्लाट नं. 278 का दक्षिण भाग
2	24663932	गृह ऋण	1. विजय पाल सिंह 2. सुनिता विजय	28.03.2024	11,39,372.90/-	फ्लैट नं. एफ-2, क्षेत्रफल 725 वर्गफिट, पहली मंजिल, प्लाट नं. 119, स्कीम श्री गोविन्दम, ग्राम-सिरसी, तहसील व जिला जयपुर, राजस्थान-302021 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है-पूर्व- प्लाट नं. 120, पश्चिम-9 मीटर चौडी रोड, उत्तर-प्लाट नं. 118, दक्षिण-9 मीटर चौडी रोड

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चो, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-

दिनांक- 09.04.2024 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान- राजस्थान **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड**

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 41/2023 (उत्तराधिकार)

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम (1) घनश्याम दास डेवजानी (2) पुरूषोत्तम डेवजानी (3) राजेश डेवजानी पुत्र कन्हैयालाल डेवजानी निवासी 100, केशन विहार दुर्गापुरा जयपुर विवाद स्थान जीवन बीमा लि. की त्रिपोलिया बाजार, जयपुर।

मृतक कन्हैयालाल डेवजानी की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 30.04.2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम कन्हैया लाल डेवजानी पुत्र दौलतराम डेवजानी निवासी 100 केशव विहार दुर्गापुरा, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 30 माह 04 सन् 2024 को न्यायालय में 7.30 ए.एम. उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 06 माह 04 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर अदालत

आज्ञा से-शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
क्र.सं. 10, जयपुर महानगर-प्रथम
न्यायालय सांगानेर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 02/2024

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम (1) अशोक कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री भैरू लाल शर्मा (2) प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री भैरू लाल शर्मा (3) चेतन प्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री भैरू लाल शर्मा (4) सर्वेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री भैरू लाल शर्मा (5) मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री भैरू लाल शर्मा जाति ब्राह्मण विवाद स्थान परमार्थ मंदिर गाँधी चौक, मनोहरपुर जिला जयपुर

मृतक भैरूलाल शर्मा परमार्थ मंदिर के पुजारी की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 17.05.2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम स्व. भैरूलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री नारायण सहाय जाति ब्राह्मण निवासी मनोहरपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 17 माह 05 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 08 माह 04 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर अदालत

आज्ञा से-रीडर ग्रेड-प्रथम
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
सं. 1 शाहपुरा (जयपुर जिला) राज.

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय जिला एवं सैंशन न्यायाधीश जयपुर महानगर (प्रथम)
शोभना श्रीवास्तव एवं अन्य विरूद्ध श्रीमती ओमवती सक्सैना एवं अन्य

वाद/प्रार्थना पत्र CHF RJJM0100 2963/2023 दीवानी विविध वाद संख्या-1322/2023, V.S. 278 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1322/2023

नाम डॉक्टर जगमोहन शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा उम्र 70 वर्ष पता मकान नंबर ए-2, विजय पथ, तिलक नगर जयपुर राजस्थान मोबाईल-9982644774

उक्त शोभना श्रीवास्तव एवं रचना पपलियाल ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र V.S. 278 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 07 माह 05 सन् 2024 को 08.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज दिनांक 06 माह 04 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मोहर अदालत

आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर प्रथम

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम

व्यवहार मिश्रित (मुलफरिक) वाद संख्या-20/2024

श्रीमती लाजवन्ती वाटवानी बनाम हर आम व खास

विषय- वास्ते नाबालिग पुत्र कार्तिक वाटवानी, आयु 5 वर्ष के हिस्से की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर बी-52 आनन्द विहार, रेल्वे कॉलोनी जगतपुरा, जयपुर को प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती लाजवन्ती वाटवानी को विक्रय किये जाने की अनुमति दिये जाने बाबत।

प्रार्थी का नाम- श्रीमती लाजवन्ती वाटवानी पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार वाटवानी आयु 36 वर्ष जाति सिन्धी निवासी प्लॉट नम्बर बी-52, आनन्द विहार, रेल्वे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर हाल निवासी मकान नम्बर 127, श्रीगंगाधर राव की गली, गेटोर रोड, ब्रह्मपुरी, जयपुर।

विवाद स्थल-प्लॉट नम्बर बी-52 आनन्द विहार रेल्वे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर।

प्रार्थी- श्रीमती लाजवन्ती वाटवानी पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार वाटवानी, आयु.36 वर्ष जाति सिन्धी, निवासी प्लॉट नम्बर बी-52, आनन्द विहार, रेल्वे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर हाल निवासी मकान नम्बर 127, श्रीगंगाधर राव की गली, गेटोर रोड, ब्रह्मपुरी, जयपुर।

पेशी दिनांक-26.04.2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके नाबालिग पुत्र कार्तिक वाटवानी आयु 5 वर्ष के स्वामित्व की सम्पत्ति अविभाजित हिस्सा 1/2 वाके प्लॉट नम्बर बी-52 आनन्द विहार रेल्वे कॉलोनी जगतपुरा जयपुर को नाबालिग पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए बेचान किये जाने की अनुमति चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में 26.04.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें, उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक माह सन् को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया।

मोहर अदालत

आज्ञा से-शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
संख्या 10 जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर